2024 / 89

राम स्वरूप बनाम तेजराम

(नि)

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.3.24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3.4.24 को पेश हो। रीडर
3-4-2024	वकील उभयपक्ष उप०। वकील वादी प्रा० पत्र 11 C.P.C. का जवाब प्रस्तुत करने को समय चाहते हैं। इस पर वकील प्रतिवादी को एतराज है। पत्रावली दि० 5-4-2024 को पेश हो।
5-4-2024	वकील उभयपक्ष उप०। वकील वादी ने प्रा० पत्र 11 C.P.C. का जवाब प्रस्तुत किया। वकील वादी ने प्रा० पत्र आदेश 1 नियम 10(2) C.P.C. प्रस्तुत किया। वास्ते बहस प्रा० पत्र 11 C.P.C. पत्रावली दि० 9-4-2024 को पेश हो।
9-4-2024	वकील उभयपक्ष उप०। प्रा० पत्र धारा 11 C.P.C. पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 16-4-2024 को पेश हो।
16-4-2024	वकील उभयपक्ष उप०। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 22-4-2024 को पेश हो।
22-4-2024	वकील उभयपक्ष उप०। प्रा० पत्र धारा 11 C.P.C. स्वीकार किया जाता है एवं वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी (राज०)

निर्णय न्यायालय श्री अनूप सिंह, आर०ए०एस०, उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
20 / 2024	21.2.2024	22.4.2024

रामस्वरूप पुत्र लोहडे जाति माली निवासी गंगाजी की कोठी तह० गंगापुर सिटी
—वादी

बनाम

तेजराम पुत्र हजारी जाति माली निवासी गंगाजी की कोठी तह० गंगापुर सिटी एवं अन्य 17 प्रतिवादीगण
—प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 सी०पी०सी०,

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट वादी की ओर से

श्री मोहम्मद इस्लाम,एडवोकेट, प्रतिवादी नं० 4, 9 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादी रामस्वरूप पुत्र लोहडे माली निवासी गंगाजी की कोठी द्वारा घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का बाबत् ख०नं० 165 / 14 रकबा 0.88 है०, ख०नं० 14 रकबा 0.70 है० ग्राम बाढछावा नं० 2 तहसील गंगापुर सिटी इस न्यायालय में प्रतिवादी तेजराम पुत्र हजारी जाति माली निवासी गंगाजी की कोठी तहसील गंगापुर सिटी व 17 अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21.2.2024 को प्रस्तुत किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 4 व 9 की ओर से श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं दिनांक 6.3.2024 को प्रतिवादी संख्या 4 व 9 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी०पी०सी० प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि वादी द्वारा दावा गलत आधार पर पेश किया है। विवादित भूमि से सम्बन्धित दावा तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा निर्णित किया जाकर विभाजन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह दावा रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः दावा वादी रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने से खारिज फरमाया जावे।

इस प्रार्थना पत्र का वादी की ओर से जबाब दिनांक 5.4.2024 को प्रस्तुत किया गया। जबाव में अंकित किया गया है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी में की गई कार्यवाही गलत तरीके से व झूंठ बोलकर करवाई गई थी जिसकी जानकारी होते ही जबावदार द्वारा ए०डी०एम० गंगापुर सिटी के यहां अपील प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है। तहसीलदार में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार व भूमि वर्तमान प्रकरण के पक्षकार व भूमि, विषयवस्तु, विवाद वस्तु भी प्रथक प्रथक रहे हैं। तहसीलदार के प्रकरण में डिक्री कायम नहीं की गई है इसलिए वर्तमान प्रकरण पर धारा 11 सी०पी०सी० के प्रावधान लागू नहीं होते

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

हैं। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण भूमाफिया व्यक्ति हैं जिन्होने प्रकरण को डिले करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इन्होने पूर्व में भी न्यायालय आर0ए0ए0 में अपील माननीय न्यायालय द्वारा सहमति से लगाए गए स्थगन आदेश को समाप्त करवा दिया तथा वर्तमान प्रकरण में भी स्टे खारिज करवाकर विवादित भूमि को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है। वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 1, 2 व अप्रार्थी संख्या 3 ता 14 के वारिसान ने उक्त भूमि को गलत तरीके से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा लिया जबकि उनका उक्त भूमि से कोई वास्ता नहीं रहा है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रीवियस एन्ट्री को कन्टीन्यू किए बिना रामफूल व मोहन के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया जिसकी दुरूस्ती हेतु हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। इसकी परिस्थितियां तहसील में विचाराधीन रही कार्यवाही से भिन्न है। इस कारण धारा 11 सी0पी0सी0 के प्रावधान वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। उक्त बिन्दु पर तनकी कायम किए जाने के बाद मेरिट के आधार पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। धारा 11 सी0पी0सी0 के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जाता है बल्कि दावा की कार्यवाही स्थगित की जाती है एवं दावे की कार्यवाही तभी स्थगित की जाती है जब उसी अनुतोष व उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी विवाद बिन्दु व भूमि पर कोई वाद किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन चल रहा हो। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा फोटोकोपी नकल निर्णय दिनांक 31.7.2013 न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी, मुकदमा नम्बर 8/2013 उनवानी प्रार्थना पत्र मोती, रमेश वगैरा बाबत् भूमि विभाजन, फोटोकोपी नकल नामान्तरकरण प्रस्तुत की गई है।

जबाब के समर्थन में वादी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रार्थना पत्र तहत धारा 11 सी0पी0सी0 पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रतिवादीगण घमण्डी, मोतीलाल के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रस्तुत वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि ख0नं0 14 ग्राम बाढछावा नं0 2 का आपसी सहमति से तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां दिनांक 31.7.2013 को विभाजन हो चुका है एवं इस विभाजन के अनुसार पक्षकारों के मध्य पृथक पृथक खातेदारी भी दर्ज हो चुकी है। चूंकि भूमि ख0नं0 14 का विभाजन पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से हुआ है इसलिए यहां इस वाद के माध्यम से उस भूमि विभाजन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

ने अपनी बहस में आदेश 23 नियम 3 ए सी0पी0सी0 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि पक्षकारों के मध्य समझौते पर प्राप्त डिक्री/निर्णय के लिए पक्षकार उसी न्यायालय में अपना आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं जहां निर्णय हुआ है अथवा उस निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु अलग से वाद दायर नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में वादी की ओर से सक्षम न्यायालय में अपील भी की हुई है जिसे अपने जबाब में वादी ने अंकित भी किया है । ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद धारा 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों को हिट करता है एवं चलने योग्य नहीं है इसलिए यह वाद रेस्जूडिकेटा होने से खारिज फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2019(2) पेज 1321, आर0आर0टी0 2017(2) पेज 1155, सी0सी0सी0 2022(1) पेज 647, डी0एन0जे0 (राज0) 1996 पेज 1 प्रस्तुत किए हैं।

वादी के अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां पर निर्णित हुए प्रकरण में तथा हस्तगत वाद में पक्षकारान, विषयवस्तु एवं विवाद वस्तु एक समान नहीं है इसलिए यहां धारा 11 सी0पी0सी0 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रस्तुत वाद के माध्यम से वादी ने घोषणां खातेदारी चाही है एवं इस वाद में जबाब दावा प्रस्तुत होने के बाद दावा, जबाब दावा के आधार पर विवाद्यक बनने के उपरान्त ही मेरिट पर निर्णय किया जा सकता है, मात्र एक प्रार्थना पत्र पर वाद तय नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में वादी के विद्धान अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त आर0बी0जे0(25) 2018 पेज 17666, डी0एन0जे0 2018(1)(राज0) पेज 114, डी0एन0जे0 2015(4)(राज0) पेज 1819 प्रस्तुत किए हैं।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0, जबाब प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0 के साथ तहसीलदार गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 31.7.2013 की छायाप्रति प्रस्तुत की है उसके अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि ख0नं0 14 ग्राम बाढछावा नं0 2 का आपसी सहमती से विभाजन किया गया है एवं इसके अनुसार वर्तमान राजस्व अभिलेख में खातेदारी का अंकन हुआ है। यह भूमि विभाजन आपसी सहमति से हुआ है इसलिए आदेश 23 नियम 3 ए सी0पी0सी0 के अनुसार इसमें कोई आपत्ती होने पर सम्बन्धित न्यायालय में पक्षकार आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। अलग से वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है। वादी द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी के आदेश के विरूद्ध न्यायालय न्यायालय अतिरिक्त

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

जिलाकलेक्टर गंगापुरसिटी में अपील प्रस्तुत करना स्वीकार किया है। वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त डी0एन0जे0(सी0सी0) 1996 पेज 1 वर्तमान प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है। फलस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों से हिट होने के कारण चलने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार वाद संख्या 20/2024 उनवानी रामस्वरूप बनाम तेजराम वगैरा धारा 11 सी0पी0सी0 से हिट होने के कारण इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है फलस्वरूप यह वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.4.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ( ) गंगापुर सिटी (राज०)